





प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक :- 19.04.2024

**थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 109/24 धारा- 307/324/504/506
भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगणों को किया गिरफ्तार।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 109/2024 धारा- 307/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तगण 1. अवनेश पुत्र चन्द्रपाल 2. चन्द्रावती पत्नी चंद्रपाल को आज दिनांक 19.04.2024 को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में भी दिनांक 28.03.2024 को भी वादी मुकदमा की पत्नी से मारपीट की थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर पूर्व में मु0अ0सं0- 94/2024 धारा- 147/323/504/506/354/448 भादवि पंजीकृत किया गया था, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. अवनेश पुत्र चन्द्रपाल निवासी श्याम नगर भोपत पट्टी थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़
2. चन्द्रावती पत्नी चंद्रपाल निवासी श्याम नगर भोपतपट्टी थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- दिनांक 18.04.2024 को समय करीब 2 से 3 बजे के बीच दोपहर में वादी मुकदमा अपनी पत्नी के साथ श्यामनगर स्थिति अपने मकान में दीवार बना रहा था, लेवर मिस्त्री काम कर रहे थे तभी अचानक पड़ोस में रहने वाले चन्द्रपाल पुत्र रामलाल, चन्द्रावती पत्नी चन्द्रपाल, अवनेश पुत्र चन्द्रपाल, अग्निवेश पुत्र चन्द्रपाल समस्त निवासी श्यामनगर भोपतपट्टी थाना कादरीगेट अचानक जान से मारने की नियत से गालीगलौज करते हुये वादी मुकदमा सुरेन्द्र व वादी की पत्नी पर एक राय होकर हमलावर हो गये और सभी ने ईंट उठाकर सिर पर और पैरों पर ताबडतोड़ जान से मारने की नियत से वार करने लगे साथ में धारदार हथियार से भी वार किया, तभी काम कर रहे मजदूर तथा हमारे गाँव के रहने वाले अनुज राजपूत पुत्र रतीराम व सुशील कुमार पुत्र बाबूराम निवासी रमापुर जसू थाना शमसाबाद आगे आये, मोहल्ले के भी लोग चिल्लाये तो अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये, तब मोहल्ले वालों ने वादी मुकदमा व उसकी पत्नी को मरणासन्न हालत में लोहिया अस्पताल मे भर्ती कराया, जिसके बाद वादी की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-109/2024 धारा- 307/323/504/506 भादवि पंजीकृत कर किया गया।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण अवनेश व चन्द्रावती उपरोक्त ने बताया कि, हम लोगों के मन में लालच आ गया था। हमने सोचा की सुरेन्द्र(वादी मुकदमा) व उसकी पत्नी के साथ मारपीट करेंगे तो ये लोग मकान छोड़कर भाग जायेंगे और हम लोग मकान में कब्जा कर लेंगे, अभियुक्त चन्द्रपाल ने बहुत पहले यह मकान सुरेन्द्र(वादी मुकदमा) को बेंच दिया था, सुरेन्द्र व उसकी पत्नी इसी मकान में रहने लगे थे, इसी कारण से हम लोगों ने कल दिनांक 18.04.2024 को वादी की पत्नी पर जानलेवा हमला किया था, इससे पहले भी दिनांक 28.03.2024 को भी हम लोगों ने वादी की पत्नी के साथ मारपीट की थी, जिसका मुकदमा भी लिखा गया था।

अभियुक्त अवनेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 94/2024 धारा 147/323/504/506/354/448 भादवि थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 109/2024 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्ता चन्द्रावती उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 94/2024 धारा 147/323/504/506/354/448 भादवि थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 109/2024 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 सुरजीत सिंह
2. का0 मोहित कुमार
3. महिला का0 कीर्ति राजपूत

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक :- 19.04.2024

**थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-110/24 धारा-376/370/506/342/120बी
भादवि व 3/4 पाँक्सो एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-110/24 में वांछित अभियुक्तगण 1. सुधीर वर्मा पुत्र दिलेराम राजपूत थाना कादरीगेट 2. अभियुक्ता नन्ही बाथम पत्नी सुभाष बाथम थाना कादरीगेट को गिरफ्तार किया।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सुधीर वर्मा पुत्र दिलेराम राजपूत थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।
2. नन्ही बाथम पत्नी सुभाष बाथम थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 18.04.2024 को वादी ने थाना हाजा पर लिखित तहरीर दी कि मेरी पुत्री घर पर ही रहती है। दिनांक 11/12-04-2024 तारीख याद नहीं है समय लगभग 12 बजे मेरी गैर मौजूदगी में मेरे पडोस में रहने वाली महिला नन्ही पत्नी सुभाष बाथम व सुधीर वर्मा मेरी पुत्री को घर से बहला फुसलाकर लालच देकर अपने साथ नन्ही अपने बहनोई के मकान में ले गई। वहाँ पर मेरी पुत्री के साथ सुधीर वर्मा ने मारने की धमकी देकर गंदा काम किया और नन्ही ने मेरी बेटी का वीडियो बनाया और 03 बजे के आसपास मेरी पुत्री को घर पर ही छोड़ दिया। उस दिन मेरी पुत्री ने मुझे कुछ नहीं बताया दिनांक 18.04.2024 को मेरी पुत्री को उक्त दोनों लोग फिरसे उसी जगह चलने तथा गलत काम करने का दबाव बनाने लगे और न चलने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे। जिससे मेरी पुत्री काफी डर गयी और हिम्मत करके मेरी पुत्री ने मुझे पूरी घटना की सच्चाई बताई कि किस तरह से उसके साथ दुष्कर्म हुआ और उसका वीडियो बनाया गया। तहरीर के आधार पर थाना कादरीगेट पर मु0अ0सं0-110/24 धारा-376/370/506/342/120बी भादवि व 3/4 पाँक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि मैं पहले भी लडकियों को बहला फुसलाकर उनसे धंधा कराने के लिए ले जाती रही हूँ एक सप्ताह पहले भी मैंने वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने रिश्तेदार के यहाँ ले गयी थी और सुधीर से उसके साथ बुरा काम करवाया था और उसके बदले में मुझे कुछ पैसे मिलते थे मैं लालच में आकर ये काम करवाती थी। तथा अभियुक्त सुधीर वर्मा ने पूछने पर बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी है मैंने वादी की पुत्री के साथ गलत काम किया और वीडियो भी बनाया था।

अभियुक्त सुधीर वर्मा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास :-

1- मु0अ0सं0 110/2024 धारा 376/370/506/342/120बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट

अभियुक्ता नन्ही बाथम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास :-

1- मु0अ0सं0 110/2024 धारा 376/370/506/342/120बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अनिल सिकरवार
2. कां0 सुरेन्द्र पाल सिंह
3. म0कां0 माधुरी

मीडिया सेल फतेहगढ़





